

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2783]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 23, 2015/पौष 2, 1937

No. 2783]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 23, 2015/PAUSA 2, 1937

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 2015

का.आ.3504(अ).—केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार के अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 2 के खण्ड (क) के अनुसरण में और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार के का. आ. 2847(अ) दिनांक 6 दिसम्बर 2012 की अधिसूचना के संशोधन में उक्त अधिनियम के अधीन हरियाणा राज्य के राज्यक्षेत्र के भीतर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की मुद्रा दिल्ली पाइपलाइन, बहादुरगढ़ टिकरी पाइपलाइन, रमनमंडी बहादुरगढ़ पाइपलाइन और रेवारी कानपुर पाइपलाइन के लिए सक्षम अधिकारी के कार्यों का निर्वहन करने के लिए श्री नौरंग राय, तहसीलदार, रेवारी, हरियाणा सरकार को प्राधिकृत करती है।

[फा. सं. आर 31015/8/2012-ओ.आर. II]

पवन कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st December, 2015

S.O.3504(E).—In pursuance of clause (a) of section 2 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) and in modification of Notification of the Government of India in Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 2847(E) dated the 6th December, 2012, the Central Government hereby authorizes Shri Naurang Rai, Tehsildar, Rewari, Government of Haryana to perform the functions of Competent Authority for HPCL's Mundra Delhi Pipeline, Bahadurgarh Tikri Pipeline, Ramanmandi Bahadurgarh Pipeline and Rewari Kanpur Pipeline under the said Act, within the territory of Haryana State.

[F.No. R-31015/8/2012-OR.II]

PAWAN KUMAR, Under Secy.

5419 GI/2015